क्रम संख्या–14

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 01 फरवरी, 2022 ई0

माघ 12, 1943 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 29 / XXXVI (3) / 2022 / 74(1) / 2021

देहरादून, 01 फरवरी, 2022

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड {(उत्तर प्रदेश) लोक सेवा (अधिकरण)} (संशोधन) विधेयक, 2021' पर दिनांक 28 जनवरी, 2022 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्याः 03 वर्ष, 2022 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड {(उत्तर प्रदेश) लोक सेवा (अधिकरण)} (संशोधन) अधिनियम, 2021

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03, वर्ष 2022)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण), अधिनियम, 1976 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में संशोधन करने हेतुः–

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में, उत्तराखण्ड राज्य की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड {(उत्तर प्रदेश) लोक सेवा (अधिकरण)} (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 3 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 3 में–

(i) उपधारा (8) के खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिये जायेगें, अर्थात्–

"(क) अध्यक्ष के मामले में सत्तर वर्ष और,

(ख) उपाध्यक्ष एवं किसी अन्य सदस्य के मामले में सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।"

(ii) उपधारा (8) के पश्चात् नई उपधारा (8क) निम्नवत अंतःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्–

"(8क). उत्तराखण्ड {(उत्तर प्रदेश) लोकसेवा (अधिकरण)} (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा यथा संशोधित उपधारा (8) के उपबंध उक्त अधिनियम के प्रारम्भ पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों का पद धारण करने वालों पर भी लागू होंगे।"

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य एवं कारण

ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय अधिनियमों के अन्तर्गत गठित अधिकरणों के अध्यक्षों की अधिकतम आयु सीमा सत्तर (70) वर्ष एवं सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा सड़सठ (67) वर्ष निर्धारित कर दी है। उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण का कार्य भी राज्य प्रशासनिक न्यायधिकरणों की तरह ही है, जो विभिन्न प्रदेशों में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (अधिनियम सं0 13 सन् 1985) द्वारा गठित हैं और राज्य सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी विवादों का निर्णय करते हैं। यह अधिकरण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियिम, 1976 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) के अन्तर्गत गठित है एवं उत्तराखण्ड राज्य के लोक सेवको के सेवा सम्बन्धी विवादों को निर्णीत करता है।

2— अतः सम्यक विचारोपरान्त, केन्द्रीय अधिनियमों की भांति, एकरूपता लाने के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियिम, 1976 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) में अध्यक्ष की अधिकतम आयु सीमा सड़सठ (67) वर्ष से सत्तर (70) वर्ष एवं अन्य सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा पैसठ (65) वर्ष से सड़सठ (67) वर्ष करने के लिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियिम, 1976 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) का संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

3— प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री